न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 48/2025 **निर्णय दिनांकः** 14-08-25
(जीसीएमएस संख्या 2025/91)

1. सहीराम पुत्र लालूराम जाति कुम्हार साकिन 2 के.एस.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26–02–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर कैम्प पूगल के आदेश दिनांक 26–02–2002 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन हेतु चक 20 के.एच.एम.(ए) का मुरब्बा नम्बर 18/12 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के साथ तमाम सबूत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये गये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–08–1993 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना आधार के खारिज कर दिया गया था। इसके पश्चात् अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी में गई। जिसके द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1993 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेशो की पालना में पुनः अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी द्वारा इसी मुरब्बे के बाबत शुरू किया गया एवं भूमि निलामी में एवं बोली में आवंटन करने की कार्यवाही की गई। परन्तु दिनांक 26–02–2002 को आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट बावजूद सूचना के उपस्थित नही आया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आरआरटी 2014–15 (सप) पेज 455 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 20 के.एच.एम.(ए) का मुरब्बा नम्बर 18/12 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूतों के साथ प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–08–1993 को अपीलांट का प्रार्थना पत्र बिना आधार के खारिज कर दिया गया था। इसके पश्चात् अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी में गई। जिसके द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–08–1993 निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेशो की पालना में पुनः अपीलांट का प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी द्वारा इसी मुरब्बे के बाबत शुरू किया गया एवं भूमि निलामी में एवं बोली में आवंटन करने की कार्यवाही की गई। परन्तु दिनांक 26–02–2002 को आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट बावजूद सूचना के उपस्थित नही आने पर खारिज किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट व एक अन्य व्यक्ति को वादग्रस्त भूमि के आवंटन की कुल कीमत की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया व उक्त राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया। तथा तमाम सबुत पेश करने हेतु लिखा गया था।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जारी किये गये नोटिस तामील की सुनिश्चितता के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना अथवा चालान प्राप्त हुआ हो।

(5) यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 20 के.एच.एम.(ए) का मुरब्बा नम्बर 18/12 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी सवंत् 2076–2079 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2)

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Asstt. Commissioner alloted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar – Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

वादगत् भूमि प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के अनुसार आज दिनांक को भी आराजीराज है तथा अन्य किसी को आवंटित भूमि नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

अपीलाधीन आराजी आज भी अराजीराज है इससे यह प्रकट होता है कि रिमाण्ड आदेश की पालना में इस भूमि की निलामी प्रक्रिया संपादित नही करवाई गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि दोनो पक्षो की उपस्थिति में निलामी प्रक्रिया के जरिये भूमि आवंटन करे।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमो व अद्यतन परिपत्रो को ध्यान में रखते हुए, प्रश्नगत आराजी यदि किसी अन्य को आवंटित न हो, किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षित न हो तो राज्य हित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14-8-25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर